

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1981/चैत्र 10, 1903
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1981/CHAITRA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

सा. का. वि. 247(अ) :—वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947,
जो आवश्यक वस्तु अभिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 की उप-धारा
(2) द्वारा प्रवृत्त रखा गया है, के खण्ड 14 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, भारत सरकार
के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना म. सा. का.

नि. 1169, तारीख 2 जुलाई, 1963 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तम्भ 1 में विहित “उच्च घनत्व पोलिथीन आधान” मद के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “(1) 5.0
(2) 4.0
(3) 2.0
(4) 1.0” ।

[मस्य-13-वी. पी. (5)/80]

आई. एम. सहाय,

भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1981

G.S.R. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 14 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, as continued in force by sub-section (2) of section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. GSR 1169, dated the 2nd July, 1963, namely :—

In the Schedule to the said notification, against item “High-density polythene containers” specified in column 1, for the entries in column 3, the following entries shall be substituted, namely :—

- “(i) 5.0
(ii) 4.0
(iii) 2.0
(iv) 1.0”

[No. 13-VP(5)/80]

I. M. SAHAI, Vegetable Oil Products Controller for India.